

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती देऊबाई

विपक्षी : श्री प्यारा

किस्म मुकदमा -212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 142/15

जीसीएमएस : 2015/00304

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 09.09.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को फैसल हो चुका है। अतः मूल वाद फैसल होने से अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

